जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना धामपुर   दिनांक- 17.06.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोरो को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार तथा 02 साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.06.2024 को वादी श्री मोहित कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम बसेडा खुर्द थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल गांव के पास स्थित कैंटीन से चोरी कर ली है। इस संबंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 290/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 290/24 धारा 379 भादवि में विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1- शिवा पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम नारायण खेडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर 2- अक्षय कुमार पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा लाला थाना नहटौर जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके 02 साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियोग में धारा 411/413 भादवि की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- शिवा पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम नारायण खेडी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2- अक्षय कुमार पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा लाला थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

3- 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बरामदगी का विवरण

चोरी की स्प्लेडर मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 सोहन पुंडीर थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

2- मुख्य आरक्षी संजय सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी धर्मराज थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 17.06.2024**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1195/2023 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.12.2023 को वादी श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री डालचन्द निवासी शान्ति विहार कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी की अभियुक्तगण 1.विवेक कुमार पुत्र रमेश कुमार 2.आरती पत्नी विवेक कुमार निवासी कृष्णापुरम निकट सन्तोषी माता मन्दिर रोड थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी को बिजनेस का लालच देकर धोखाधडी से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर TCS कम्पनी का एग्जाम सेन्टर दिलवाने तथा इनकम टैक्स विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर वादी से विभिन्न माध्यमो से 24 लाख रूपये ले लिया तथा वादी को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर वादी द्वारा पैसे वापस मांगने पर गाली – गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1195/2024 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि बनाम विवेक व आरती उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1195/2023 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.विवेक कुमार पुत्र रमेश कुमार 2.आरती पत्नी विवेक कुमार निवासी कृष्णापुरम निकट सन्तोषी माता मन्दिर रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण विगत काफी समय से वांछित चल रहे थे, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु मा0 न्यायालय से वारंट भी प्राप्त किये गये थे। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

विवेक कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी कृष्णापुरम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

आरती पत्नी विवेक कुमार निवासी कृष्णापुरम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त विवेक का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 1133/2018 धारा 323/406/420/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 1006/2023 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 992/2023 धारा 406/420/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 493/2022 धारा 323/406/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 1195/2023 धारा 420/406/467/468/471/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 रामकिशोर गौतम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 1517 प्रवेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.म0कां0 1171 रेखा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ दिनांक 17.06.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अवैध जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध जुआ/सट्टा आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध सट्टे की खाईबाडी करते अभियुक्तों 1. ताज मौहम्मद पुत्र खलील अहमद निवासी मौ0 मुमताज हुसैन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर, 2. शाहिद पुत्र हबीबउल्ला निवासी मौ0 नायकसराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर व 3. अफसर पुत्र हबीब निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 52 ताश के पत्ते, 7350 रुपये नकदी व दो मोटर साइकिल (यूपी20सीडी1938, यूपी20बीबी0270) सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 202/24 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. ताज मौहम्मद पुत्र खलील अहमद निवासी मौ0 मुमताज हुसैन कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. शाहिद पुत्र हबीबउल्ला निवासी मौ0 नायकसराय कस्बा व थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3. अफसर पुत्र हबीब निवासी ग्राम रसूलपुर आबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

52 ताश के पत्ते, 7350 रुपये नकदी व दो मोटर साइकिल (यूपी20सीडी1938, यूपी20बीबी0270)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. हे0का0 540 पुष्पेन्द्र थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. का0 2335 विजय तोमर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
3. का0 1815 आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
4. का0 1870 मुनेश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना स्योहारा **दिनांक- 17.06.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 225/24 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.05.2024 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1- राजा पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम राजीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2- लालदेव पुत्र नामालूम निवासी मागेडा बिहार वादी की पुत्री को बहलाफुसलाकर अपने साथ ले गये है । इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 225/24 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा अपहृता को दिनांक 12.06.2024 को सकुशल बरामद किया गया तथा दिनांक 14.06.2024 को अभियुक्त लालदेव पुत्र धनेश्वर गंजू निवासी ग्राम मरगडा थाना कुंडा जनपद चतरा झारखण्ड को गिरफ्तार किया जा चुका है । विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियोग में धारा 366ए भादवि की वृद्धि की गयी ।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 225/24 धारा 363/366ए भादवि में वांछित अभियुक्त राजा पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम राजीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजा पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम राजीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 नरेन्द्र कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

2- मुख्य आरक्षी रिक्की तोमर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

3- आरक्षी कुलदीप थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शेरकोट **दिनांक – 17.06.2024**

थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 136/2024 धारा 386 भादवि में वांछित अभियुक्त को पीली धातु के आभूषण (अनुमानित कीमत करीब 3,65,000 /- रुपये) व 45,000 /- रुपये की नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.06.2024 को वादिनी द्वारा थाना शेरकोट पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रिहान पुत्र वहीद अहमद निवासी ग्राम हर्षवाणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वीडियो कॉल से वादिनी से फोटो लेकर वादिनी को मृत्यु भय दिखाकर तथा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर घर पर रखे 02 गले के हार, चार झाले (बुन्दे), एक मंगलसूत्र, एक टीका, दो कान की टॉप्स, एक नग, एक टिका, एक अंगूठी सभी सामान सोने के टोटल 8 बून्दे, एक चैन, एक मंगलसूत्र, दो कुंडल, एक रिंग, एक जोडी झुमकी तथा करीब 14 लाख कैश ले लिया एवं अभियुक्त रिहान द्वारा 40 हजार रुपये की और मांग की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 136/2024 धारा 386 भादवि बनाम रिहान उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.06.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रिहान पुत्र वहीद अहमद निवासी हर्षवाणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक गले का हार (पीली धातु), एक अंगूठी (पीली धातु), एक जोडी कानो के झाले (पीली धातू), एक टीका (पीली धातु), एक मंगलसूत्र (पीली धातु) अनुमानित कीमत करीब 3,65,000 /- रुपये तथा 45,000 /- रुपये की नगदी बरामद की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिहान पुत्र वहीद अहमद निवासी हर्षवाणा थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर

बरामदगी –

एक गले का हार (पीली धातु)

एक अंगूठी (पीली धातु)

एक जोडी झाले कानो के (पीली धातु)

एक टीका (पीले धातु)

एक मंगलसूत्र (पीली धातु)

45,000/- हजार रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 250 रवि कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

4.कां0 2082 बिन्टू कन्दोल थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

5.कां0 986 कृष्ण राणा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 17.06.2024**

थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रसूलपुर नंगला में चचेरे–तहेरे भाइयों के मध्य हुए विवाद में घायल चचेरे भाई की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि दिनांक 16.06.2024 को वादी श्री आरिफ पुत्र साकिर निवासी रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 15.06.2024 की रात्रि करीब 10:00 बजे वादी के भाई आदिल (उम्र 23 वर्ष) की गांव रसूलपुर नंगला के ही सद्दाम पुत्र शौकत के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिसमें सद्दाम उपरोक्त ने लोहे के पाइप से अपने चचेरे भाई आदिल के सिर पर वार किया, जिससे आदिल गम्भीर रुप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याऊ में भर्ती कराया गया, जहां आदिल की मृत्यु हो गयी।

स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर अभियुक्त सद्दाम पुत्र शौकत निवासी रसूलपुर नंगला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 17.06.2024**

थाना चांदपुर पर तैनात 02 आरक्षियों द्वारा पब्लिक के व्यक्ति के साथ मारपीट किये जाने पर पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा दोनों आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने तथा दोनो आरक्षियों के विरुद्ध की जा रही विधिक कार्यवाही के सम्बंध में।

अवगत कराना है कि दिनांक 16/17.06.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के सीयूजी नंबर पर पब्लिक के एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 15/16.06.2024 की रात्रि में थाना चांदपुर की पुलिस चौकी बास्टा पर नियुक्त दो सिपाहियों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गयी है। प्रकरण की जांच प्रभारी निरीक्षक, थाना चांदपुर से करायी गयी तो आरोप सत्य पाये गये तथा यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 15/16.06.2024 की रात्रि में थाना चांदपुर की पुलिस चौकी बास्टा पर नियुक्त 1.आरक्षी 1879 हिमांशू भड़ाना व 2.आरक्षी 1872 हेमन्त रात्रि गस्त में ड्यूटीरत थे, जिन्होने ड्यूटी के दौरान विनोद पुत्र श्री चरण सिंह निवासी मानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के साथ अनावश्यक रूप से मारपीट की है। उपरोक्त दोनो आरक्षियों के इस कृत्य से आमजन में पुलिस जैसे अनुशासित विभाग की छवि धूमिल हुई है।

इस सम्बंध में प्रभारी निरीक्षक, थाना चांदपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा 1.आरक्षी 1879 हिमांशू भड़ाना व 2.आरक्षी 1872 हेमन्त को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है तथा दोनो आरक्षियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगणों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे पुलिस जैसे अनुशासित विभाग की छवि धूमिल हो अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।